कार्यालय नगर परिषद् लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म0प्र0)

क्र/698/न.पा.परि./स्था/2024 लवकुशनगर, दिनांक :28/08/2024

विज्ञापन

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 7275/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024, म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक एफ 07–19/2019/आ.प्र./1 दिनांक 14.02.2024, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक/676/16017123/2023/18–1 दिनांक 16.02.2023, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था/एक/201/प्र.शि./2024/3780 भोपाल दिनांक 26.02.2024 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, के पत्र क्रमांक एफ 8–2/2013/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 04.01.2024 एवं अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए **कुल 03** पद का नाम सफाई संरक्षक (चतुर्थ श्रेणी) के आरक्षित पद/पदों की पूर्ति वॉक–इन–इंटरव्यू (मेरिट) के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यार्थी नीचे दर्शाय गये निर्धारित प्रारूप मे आवेदन पत्र भर कर दिनांक 29.08.2024 से दिनांक 13.09.2024 तक कार्यालयीन समय 5:30 सांयकाल तक आवेदन–पत्र स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/पब्लिक कोरियर से प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जायेगा।डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय/कार्यालय उत्तरदायी नही होगा। दिव्यांजनो हेतु आरक्षित रिक्त पदो का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक–इन–इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र	पद कानाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनो की लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता	वॉक-इन–इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि (मेरिट सूची अनुसार)
				दृष्ट बाधित और कम दृष्टि,	बहरे और कम सुनने वाले,	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रलपाल्सी, कुष्ठरोगमुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलरडिस्ट्राफी	ऑटिज्म, बौद्विक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सफाई संरक्षक	सीधी भर्ती (नियमित)	15500–49000 (लेबिल–1)	निल	निल	निल	01	पांचवीं पास	18.10. 2024

क्र	पद का नाम	पद की श्रेणी	संविदा मानदेय	दिव्यांगजनो की लिए आरक्षितवर्गवाररिक्तियां				निर्धारित योग्यता	वॉक–इन–इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि (मेरिट सूची अनुसार)
				दृष्ट बाधित और कम दृष्टि,	बहरे और कम सुनने वाले,	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रलपाल्सी, कुष्ठरोगमुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलरडिस्ट्राफी	ऑटिज्म, बौद्विक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सफाई संरक्षक	(संविदा)	8000 मासिक	निल	निल	01	01	पांचवी पास	18.10. 2024

मुख्य शर्तेः–

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण–पत्रो को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रो की प्रति संलग्न प्रेषित की जावें।
3. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3–38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षितवर्ग–अनु.जा., अनु. जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वाशासी संस्था के

कर्मचारियों/नगरसैनिक/निःशक्तजन/महिलाओ (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) होगी।

4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी–3–8/2016/3–एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3–38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. आवेदक को वॉक–इन–इंटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
6. निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।
7. डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।
8. वॉक–इन–इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदको को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
9. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा।
10. भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्ते कार्यालयीन समय में निगम/निकाय से प्राप्त की जा सकती है।
11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए अयोग्य माना जायेगा।
12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तो को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पूर्ण करता है।
13. आवेदन–पत्र मेंकोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न नही किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. सीधी/बैकलॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्त होगें।
15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के दर्शाये अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछडी जनजातियों (सहारिया/सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नही होगा।
16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखो को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हों जो रूपान्तरित किये गये होंवे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमें ऐंसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियो का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही किवे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
18. यह कि दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
19. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यार्थी जिसके 02 से अधिक जीवत सन्ताने है, जिसने से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है तो ऐसा अभ्यार्थी नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्ताने जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नही माना जावेगा।
20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदो पर चयन होने पर अभ्यार्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यार्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।
21. दिव्यांजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगर पालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) सेवा, नियम 2021 मे विहित प्रावधानुसार की जावेगी।
22. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद लवकुशनगर
ज़िला छतरपुर

पृ0 क्रमांक / 899

दिनांक 28/08/2024

प्रतिलिपिः—

1. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
4. संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ।
5. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
6. जिला पंचायत कार्यालय जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
7. अध्यक्ष नगर पालिका / नगर परिषद लवकुशनगर की ओर सूचनार्थ।
8. कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा हेतु एवं विभाग की बेवसाईड पर प्रकाशन हेतु।
9. संपादक दैनिक जागरण ग्वालियर म.प्र. की ओर प्रकाशन हेतु।

2. ~~दैनिक भास्कर आचरण~~ छतरपुर (म.प्र.)

3. कृष्ण क्रान्ति छतरपुर (म.प्र.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद लवकुशनगर
जिला छतरपुर (म0प्र0)

सुशील द्विवेदी
28-8-2024
दैनिक जागरण
ग्वालियर

28-8-24
कृष्ण क्रान्ति

28-8-24
सम्पादक दैनिक भास्कर

कृष्ण क्रान्ति